60

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर,

निगरानी प्रकरण क्रं.–

श्रवण तिथि :–

निगरानी–4960/2018/बुरहानपुर/भू.रा.

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

5रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

1. भरतकुमार पिता हरीदास,
2. श्रीमती हीराबेन विधवा हरीदास,
   क्रं.1 व 2 निवासी मोहल्ला प्रतापपुरा, बुरहानपुर
3. कोकिलाबेन पति मगनदास पुत्री हरीदास, निवासी पुना, महाराष्ट्र
4. मंजुबेन पुत्री हरीदास, निवासी अहमदनगर, महाराष्ट्र
5. स्मिताबेन पति प्रमोद पुत्री, हरीदास, निवासी इन्दौर म.प्र.

––– आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन

––– अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदकगण निवेदन करते है :–

1. यह कि आवेदकगण पुनःरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के न्यायालय के राजस्व अपील प्रकरण क्रं. 143/अपील/2003–04 मे पारित आदेश दिनांक 28.02.2018 से दुःखित एवं पीडित होकर निम्नलिखित आधारों पर याचिका प्रस्तुत करते है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4960/2018

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.05.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह कार्यवाही आवेदक के धारा 89 के आवेदन पर प्रारंभ हुई थी, लेकिन तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने प्रकरण धारा 250 का मानकर विवेचना की है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि संहिता की धारा 89 के तहत कार्यवाही का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है, किंतु तहसील न्यायालय को नहीं। अतः आवेदक का तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन प्रारंभ से ही विचार योग्य नहीं था। फलतः समस्त कार्यवाही प्रारंभ में ही विचार योग्य न होने से समाप्त की जाती है। **अध्यक्ष**	